दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, बुधवार 11 जनवरी 2023 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-05, अंक- 105

महत्वपूर्ण एवं खास

तेज रफ्तार ट्रक के साथ टक्कर में एक ही परिवार के आठ लोगों की दर्दनाक मौत

पटना (आरएनएस)। बिहार के कटिहार जिले में ट्रक की चपेट में आने से एक ही परिवार के आठ लोगों की मौत हो गई। मृतक खेरिया गांव के रहने वाले थे और बीती रात हादसे के दौरान कटिहार रेलवे स्टेशन जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक, इलाके में विजिबिलिटी कम थी। इस दौरान विपरीत दिशा से तेज रफ्तार में ट्रक आया, जिसके चलते यह हादसा हुआ। खोरा थाने के एसएचओ रूपक रंजन सिंह ने कहा कि पीड़ितों की मौके पर ही मौत हो गई। सिंह ने कहा, हमने शवों को बरामद कर लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतकों के परिवार के अन्य सदस्यों को दुर्घटना के बारे में सूचित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मरने वाले आठ लोगों में दो बच्चे हैं।

आवारा कुत्तों का आतंक, महिला को नोच-नोच कर मार डाला

धारवाड़ (आरएनएस)। कर्नाटक के धारवाड़ जिले में मंगलवार को एक भयानक घटना में एक बेसहारा महिला को आवारा कुत्तों के झुंड ने नोच-नोच कर मार डाला। महिला की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक, घटना उप्पिना बेतागेरी खबरस्तान गांव में तडक़े हुई। महिला इलाके में भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। जब वह गांव में एक इमारत के पास सो रही थी तो कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। अधिकारी मौके पर पहुंचे और उसके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कीं। ग्रामीणों ने शिकायतों के बाद भी कुत्तों के खतरे को गंभीरता से नहीं लेने के लिए अधिकारियों की निंदा की। वे मांग कर रहे हैं कि कम से कम अब कुत्तों के खतरे के मुद्दे का समाधान किया जाना चाहिए। पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है।

कोर्ट ने आफताब की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाई

नई दिल्ली (आरएनएस)। साकेत कोर्ट ने मंगलवार को अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वाकर की हत्या के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए और बढ़ा दी। पूनावाला को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला के सामने पेश किया गया। इस दौरान उसने कानून की किताबों की मांग की। अदालत ने जेल अधिकारियों को उसे गर्म कपड़े मुहैया कराने का भी निर्देश दिया। 6 जनवरी को पूनावाला ने अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए अदालत में एक आवेदन दिया, जिसमें दैनिक वस्तुओं के साथ-साथ गर्म कपड़े खरीदने के लिए धन की आवश्यकता का हवाला दिया। शुक्ला ने उसकी न्यायिक हिरासत चार और दिनों के लिए बढ़ा दी थी और 10 जनवरी को उसे व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने 23 दिसंबर 2022 को उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी थी।

एक्सपायर वीजा पर रहने के आरोप में ईरानी नागरिक गिरफ्तार

आगरा (आरएनएस)। भारत में अवैध रूप से रहने के आरोप में उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के अछनेरा ब्लॉक से एक ईरानी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि 26 वर्षीय बेहरोज वली जादेह दिल्ली से फतेहपुर सीकरी घूमने आया था। मामला तब सामने आया जब 26 वर्षीय जादेह की एक चाय वाले से बहस हो गई, इसके बाद पुलिस को मौके पर बुलाया गया। बाद में पुलिस ने स्थानीय खुफिया इकाई से मदद मांगी, जिसने पाया कि उसका वीजा 26 अप्रैल, 2021 को समाप्त हो गया था।

दरकते जोशीमठ में एक्शन, बड़े होटलों को गिराने की कार्यवाई शुरू

जोशीमठ (आरएनएस)। उत्तराखंड के जोशीमठ में हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। भू-धंसाव के चलते तमाम घरों और होटलों में दरारें पड़ गई हैं। इन असुरक्षित हो चुके भवनों को गिराने का अभियान आज यानि मंगलवार से शुरू होगा। बताया जा रहा है कि सबसे पहले होटल मलारी इन और माउंट व्यू को गिराया जाएगा। इसके लिए मौके पर बुलडोजर पहुंच गया है। साथ ही प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों होटलों को एक्सपर्ट टीम की देखरेख में ध्वस्त किया जाएगा।

होटल मलारी इन के मालिक ठाकुर सिंह राणा ने कहा है कि अगर जनहित में होटल को गिराया जा रहा है तो मैं सरकार और प्रशासन के साथ हूं। भले ही मेरे होटल में आंशिक दरारें ही क्यों न हों। लेकिन मुझे नोटिस दिया जाना चाहिए था और मूल्यांकन किया जाना चाहिए था। मैं मूल्यांकन के लिए आग्रह करता हूं, मैं छोड़ दूंगा।

एसडीआरएफ के कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ने कहा कि दो होटलों में से मलारी इन को आज चरणबद्ध तरीके से पहले तोड़ा जाएगा। सबसे पहले ऊपर के हिस्से को तोड़ा जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दोनों होटल झुक गए हैं और एक-दूसरे के बेहद करीब आ गए हैं। जोशीमठ में सोमवार को 68 और घरों में दरार देखी गयी, जिसके बाद जमीन धंसने से प्रभावित मकानों की संख्या 678 हो गयी है, जबकि 27 और परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जोशीमठ मामले पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। जोशीमठ के मामले पर 16 जनवरी के लिए मामले को लिस्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर केस की जल्द सुनवाई नहीं हो सकती। इन मामलों के लिए लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जो काम कर रही हैं।

सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत

सर्वोच्च न्यायालय मंगलवार को उत्तराखंड के जोशीमठ संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका पर 16 जनवरी को विचार करने पर सहमत हो गया। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने तत्काल सुनवाई के लिए याचिका को सूचीबद्ध करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि हर महत्वपूर्ण चीज सीधे इसमें नहीं आनी चाहिए। पीठ में शामिल न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा ने कहा, इस पर गौर करने के लिए लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित संस्थाएं हैं। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि महत्वपूर्ण सब कुछ हमारे पास नहीं आना चाहिए और कहा कि वह इसे 16 जनवरी को सूचीबद्ध करेंगे। याचिका में कहा गया है कि यह घटना बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण के कारण हुई थी और उत्तराखंड के लोगों के लिए तत्काल वित्तीय सहायता और मुआवजे की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से पेश वकील परमेश्वर नाथ मिश्रा ने याचिका दायर की। याचिका में जोशीमठ के निवासियों को सक्रिय रूप से समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को निर्देश देने की मांग की गई है और इस बात पर जोर दिया गया है कि मानव जीवन और उनके पारिस्थितिकी तंत्र की कीमत पर किसी भी विकास की आवश्यकता नहीं है।

जोशीमठ के बाद अब कर्णप्रयाग पर भी संकट के बादल, कई घरों में आई दरारें

जोशीमठ (आरएनएस)। जोशीमठ में भवनों में दरार आने का सिलसिला जारी है। रविवार तक जहां 610 भवनों में दरार आई थी तो यह आंकड़ा आज 678 हो गया है। वहीं जोशीमठ से शुरू हुआ भू-धंसाव अब कर्णप्रयाग तक पहुंच गया है। एक तरफ जोशीमठ के लोग चिंतित और परेशान हैं, तो वहीं कर्णप्रयाग नगर पालिका के बहुगुणा नगर में मौजूद करीब पचास घरों में दरार आने लगी हैं। इससे स्थानीय प्रशासन सतर्क हो गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कर्णप्रयाग नगर निगम क्षेत्र के बहुगुणा नगर के कुछ घरों में मोटी-मोटी दरारें देखने को मिली हैं। इससे स्थानीय लोगों में दहशत है। बता दें कि जोशीमठ में सडक़ से लेकर घरों तक में दरारें उभर आई हैं। इन दरारों से पानी भी निकलने लगा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए इलाके में राहत एवं बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। एनडीआरएफ के साथ ही एसडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया गया है।

बड़ी लापरवाही! एयरपोर्ट पर 50 यात्रियों को छोडक़र उड़ गई गो एयर की फ्लाइट

0 रनवे पर ही रह गए यात्री

नई दिल्ली (आरएनएस)। आए दिन आ रही फ्लाइट्स से जुड़ी खबरें सुर्खियों बटोर रही हैं। इसी कड़ी में एक ऐसा मामला सामने आया है, जो हैरत में डालने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विमानन कंपनी गो फर्स्ट की फ्लाइट सोमवार को 50 से अधिक यात्रियों के बिना ही रवाना हो गई।

गो एयर इस मामले में अपनी इंटरनल जांच कर रहा है। ये घटना कल की है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर ही छूट गए इन सभी 50 पैसेंजर्स को गो एयर ने दूसरी फ्लाइट से दिल्ली भेजा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने गो एयर से इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट के बाद डीसीजीए जरूरी एक्शन ले सकता है। कई यात्रियों ने बाद में विमानन कंपनी पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और इस मामले में हुए ट्वीट कर जानकारी दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बेंगलुरु से दिल्ली जा रही गो फर्स्ट फ्लाइट जी8116 सोमवार को सुबह 6.30 बजे बेंगलुरु हवाईअड्डे से रवाना हुई। कई सोशल मीडिया यूजर्स के मुताबिक, विमान 54 यात्रियों के बिना ही उड़ान भर गया। ये यात्री रनवे पर बस में ही बैठे रह गए। एक सोशल मीडिया यूजर ने बेंगलुरु एयरपोर्ट का वीडियो शेयर कर कहा कि 'गो फर्स्ट की बेंगलुरु से दिल्ली जाने वाली जी 8116 फ्लाइट 54 यात्रियों को लिए बिना ही उड़ गई। फ्लाइट में इन 54 यात्रियों का सामान सवार था। लेकिन इन यात्रियों को लिए बिना ही विमान ने उड़ान भरी।'

एकनाथ शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे : सुप्रीम कोर्ट 14 फरवरी को मामले की करेगी सुनवाई

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के खिलाफ एकनाथ शिंदे और अन्य विधायकों के बगावत से उपजे मामले की सुनवाई 14 फरवरी को निर्धारित की है। ठाकरे गुट का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ से कहा कि मामला अत्यावश्यक है, क्योंकि चुनाव आयोग पार्टी और चुनाव चिन्ह पर नियंत्रण के मुद्दे पर कार्यवाही कर रहा है।

सिब्बल ने तर्क दिया कि अदालत को मुख्य रूप से इस मुद्दे पर फैसला करना है कि क्या नबाम राबिया मामले के 2016 के पांच-न्यायाधीशों के फैसले को सात-न्यायाधीशों की पीठ को भेजा जाना चाहिए। राबिया मामले के निर्णय ने स्पीकर की शक्ति को अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, अगर उन्हें हटाने की मांग का प्रस्ताव लंबित है।

जस्टिस एम.आर. शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पी.एस. नरसिम्हा की बेंच ने मामले की सुनवाई 14 फरवरी तय किया। वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल, अधिवक्ता अभिकल्प प्रताप सिंह के साथ शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के लिए पेश हुए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राज्यपाल का प्रतिनिधित्व किया।

इस साल अगस्त में शीर्ष अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दलबदल, विलय और अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर दायर याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई करेगी।

शीर्ष अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने अपने आदेश में पहला मुद्दा तैयार किया था कि क्या स्पीकर को हटाने का नोटिस उन्हें संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता की कार्यवाही जारी रखने से रोकता है, जैसा कि इस अदालत (पांच जजों की बेंच) द्वारा नेबाम राबिया मामले में किया गया।

एकनाथ शिंदे और अन्य विधायकों द्वारा उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने और उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद ठाकरे को बड़ा झटका लगा। शिंदे ने शिवसेना पार्टी और उसके चुनाव चिह्न पर भी अपना दावा पेश किया।

शीर्ष अदालत ने स्पीकर को शिंदे और अन्य विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला लेने से रोक दिया और बाद में विधानसभा में नए सिरे से विश्वास मत की अनुमति दी, जिसके बाद ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 11 जुलाई को नवनियुक्त महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता याचिकाओं पर कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाने को कहा था।

जमीन के नीचे धधकती आग से लाखों जिंदगियां खतरे में

केंद्र ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग

रांची (आरएनएस)। झारखंड के झरिया में दशकों से जमीन के अंदर धधक रही आग और अनगिनत दरारों से उठते धुएं के बीच लाखों लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं। झरिया में कोयला खदानों का संचालन करने वाली कंपनी बीसीसीएल (भारत कोकिंग कोल लि) ने बीते सितंबर महीने में ही पूरे शहर को असुरक्षित कर इसे खाली करने का नोटिस जारी किया था। अब केंद्र सरकार ने इस शहर की बड़ी आबादी को यहां से हटाकर सुरक्षित जगहों पर बसाने के प्रस्तावित संशोधित मास्टर प्लान पर एक बार फिर मंथन शुरू किया है।

आगामी 27 जनवरी को केंद्रीय कैबिनेट सचिव इस मसले पर हाई लेवल मीटिंग करेंगे। इसमें कोयला सचिव, झारखंड के मुख्य सचिव और कोयला कंपनियों बीसीसीएल (भारत कोकिंग कोल लि) और ईसीएल (ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि) के आला अधिकारी भी भाग लेंगे। कोयला सचिव अमृत लाल मीणा ने बीते सोमवार को कोयला कंपनियों की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी।

बता दें कि कोयले के भंडार के ऊपर बसे झरिया की भौंरा कोलियरी में वर्ष 1916 में पहली बार आग लगी थी। इसके बाद धीरे-धीरे यहां के बाकी इलाकों में भी जमीन के अंदर आग फैलती चली गई। एक शताब्दी बाद भी यहां की आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। दर्जनों योजनाओं और बेहिसाब खर्च के बाद भी आग का दायरा लगातार बढ़ता गया। इलाके में भू-धंसान की हजारों घटनाएं हो चुकी हैं।

आखिरकार केंद्र और राज्य की सरकारों ने माना कि अग्नि प्रभावित और भू-धंसान वाले इलाके से लोगों को हटाकर दूसरी जगह पर बसाना ही एकमात्र उपाय है। इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की साझीदारी से इसके लिए मास्टर प्लान बनाकर इसपर वर्ष 2009 में काम शुरू हुआ था। 11 अगस्त 2009 को लागू हुए इस मास्टर प्लान की मियाद 2021 के अगस्त महीने में खत्म हो गयी, लेकिन आग के मुहाने पर बैठी आबादी को स्थानातंरित करने का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। मास्टर प्लान के मुताबिक भूमिगत खदानों में लगी आग को नियंत्रित करने के साथ-साथ 12 साल बाद यानी अगस्त 2021 तक अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए दूसरी जगहों पर आवास बनाकर उन्हें स्थानांतरित कर दिया जाना था, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। आगामी 27 जनवरी को केंद्रीय कैबिनेट की ओर से बुलाई गई बैठक में मास्टर प्लान को रिवाइज करने पर निर्णय लिया जा सकता है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार को पुराने मास्टर प्लान को लेकर सौंपी गयी मूल्यांकन रिपोर्ट में बताया गया है कि फायर कंट्रोल के लिए किये गये उपायों के परिणाम स्वरूप अग्नि प्रभावित क्षेत्र का दायरा काफी कम हो गया है। 2021 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार भूमिगत आग का दायरा 17.32 वर्ग किलोमीटर से घटकर 1.8 वर्ग किलोमीटर रह गया है। मास्टर प्लान जब लागू हुआ था, तब 70 साइटों पर फायर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार ऐसी साइटों की संख्या 17 रह गयी है।

पाकिस्तान में आटे का संकट, गेहूं की कमी से दाम आसमान पर- लोगों में मची भगदड़

इस्लामाबाद। पाकिस्तान अब तक के सबसे खराब आटे के संकट का सामना कर रहा है क्योंकि देश के कुछ हिस्सों में गेहूं की भारी कमी की खबरें सामने आई हैं। वहीं गेहूं की कमी के चलते दामों में भारी बढ़ौतरी कर दी गई है जिसके बाद लोगों में भगदड़ नच गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, हजारों लोग प्रतिदिन घंटों आटे की थैलियों को खरीदने के लिए बिताते हैं, जिसकी बाजार में पहले से ही कमी है। कराची में आटा 140 रुपये किलो से 160 रुपये किलो तक बिक रहा है। इस्लामाबाद और पेशावर में 10 किलो का आटा 1500 रुपए किलो और 20 किलो का आटा 2800 रुपए किलो बिक रहा है।

पंजाब राज्य में मिल मालिकों ने आटे के दाम में 160 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की है। बलूचिस्तान के खाद्य मंत्री ज़मार्क अचकजई ने कहा है कि राज्य में गेहूं का स्टॉक पूरी तरह खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान को तुरंत 400,000 बोरी गेहूं की जरूरत है, नहीं तो संकट और गहराएगा। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में आटे की भारी किल्लत है, क्योंकि 20 किलो आटा का बैग 3100 रुपये में बिक रहा है। सरकार कीमतों पर अंकुश लगाने में विफल रही है।

शिक्षक भर्ती घोटाले में बंगाल सरकार को सुप्रीम झटका, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में 42,000 से अधिक सहायक शिक्षकों के चयन में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली एक जनहित याचिका की विचारणीयता को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया। जस्टिस एस.के. कौल और ए.एस. ओका ने कहा कि वह पिछले साल जुलाई में पारित हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है और राज्य सरकार के वकील से कहा कि राज्य सरकार हाईकोर्ट के समक्ष अपना बचाव कर सकती है। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी), 2014 के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की भर्ती में अनियमितता का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने रखरखाव पर सवाल उठाते हुए अपनी प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया था।

राज्य सरकार के वकील ने शीर्ष अदालत के समक्ष तर्क दिया कि एक सेवा मामले में जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी और यह टीईटी के आठ साल बाद दायर की गई है। वकील ने तर्क दिया कि इस मुद्दे पर एक अन्य जनहित याचिका को पहले हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा, यह राज्य के लिए वहां (एचसी) बचाव के लिए खुला है। कहने की जरूरत नहीं है कि कानून के सभी प्रश्न खुले हैं ...। हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में टीईटी 2014 के आधार पर राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की भर्ती में अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि टीईटी 2014 में, 42,897 उम्मीदवारों का चयन किया गया था, लेकिन लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में प्राप्त अंकों का खुलासा करने वाली कोई मेरिट सूची प्रकाशित नहीं की गई थी। इसने आगे कहा कि कोई आरक्षित श्रेणीवार सूची प्रकाशित नहीं की गई थी।

शीतलहर और कोहरे के बाद मौसम की पड़ेगी नई मार, पंजाब-हरियाणा सहित कई राज्यों में बारिश के आसार

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश भर में ठंड व घने कोहरे का सितम लगातार जारी है। देश के कुछ हिस्सों को आने वाले कुछ दिनों में राहत के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने संभावनाएं जताई हैं कि मंगलवार रात को पहुंच रहे नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर-पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस तक बढऩे की काफी संभावनाएं हैं। साथ ही आने वाले कुछ दिनों में पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्य बारिश का सामना कर सकते हैं। ऐसे में गलन बढऩे के चलते पहले ही कोहरे का सामना कर रहे राज्यों को मौसम की नई मार का सामना करना पड़ सकता है।

आईएमडी ने बताया है कि विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और बिहार में शीतलहर की स्थिति बन सकती है। हालांकि, बुधवार से इन क्षेत्रों में राहत के आसार हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में खास बदलाव की संभावनाए नहीं हैं। इसके बाद यह 2-3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है।

मौसम विभाग ने बताया है कि 11 से 13 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के सटे इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। जम्मू और कश्मीर में 11-12 जनवरी और हिमाचल प्रदेश में 12 जनवरी को भारी बारिश या बर्फबारी की संभावनाएं हैं। 10-14 जनवरी के बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश हो सकती है। 12-14 जनवरी के बीच अरुणाचल प्रदेश, 13 जनवरी को असम और मेघालय, 11-12 जनवरी के पश्चिम उत्तर प्रदेश, 10-13 जनवरी के बीच उत्तराखंड, 11-13 जनवरी के बीच हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, 11-13 के बीच पंजाब, 10-14 के बीच हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है।

शीत लहर में मंगलवार के बाद आ सकती है कमी, घना कोहरा अभी और सताएगा

एजेंसी के अनुसार, आईएमडी के ताजा अपडेट के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में 24 घंटे के बाद शीत लहर की स्थिति में कमी आने की संभावना है। उसने कहा, 'अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा और उसके बाद इसकी तीव्रता में कमी आएगी।'